न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान मेजर सिंह बनाम तहसीलदार

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 251/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
11.10.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरांत पेश हुई। केवियट प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ सलंग्न किया गया। अपीलांट और केवियट कर्ता दोनों को सुना गया। चूंकि केवियट कर्ता द्वारा आदेश 41 नियम 20 सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बतौर रेस्पों पक्षकार संयोजित किए जाने का निवेदन किया। दोनों को सूना गया। यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के प्रकरण संख्या 146/2023 अनवान मेजरसिंह बनाम तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 10/10/2023 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी गुरमेल सिंह का उक्त विवादित भूमि पर कोई हित प्रभावित नहीं होता क्योंकि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के सीमा विवाद/सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण विवाद है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 20 सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है। अपीलांट के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कथनों से सहमत होते हुए तथा अपीलाधीन अंतरिम आदेश को देखते हुए उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को अगली सुनवाई को विधिवत सुनकर निर्णय पारित करें। तब तक विवादित भूमि चक 4 एचएमएच के पत्थर नं 166/271 मु0 न0 50 किला न0 10 व 12 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। नीलामी की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। पत्रावली दर्ज कर रजिस्टर कर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 11.10.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 11/10/23 (अशोक कुमार मीणा) राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	